वर्ष 01
अंक 01

Panchayati Raj

पंचायती राज

पंचायती राज मंत्रालय - संवाद पत्र

अप्रैल · मई 2012

"ग्राम्य स्वराज की मेरी अवधारणा यह है कि वहां पूरी तरह लोकतंत्र हो और अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए वह अपने पड़ोसी क्षेत्र पर निर्भर न रहे।"

–महात्मा गांधी (1942 में 'द हरिजन' में सेवाग्राम से)

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्विमासिक न्यूज़लैटर '**पंचायती राज**' के इस प्रवेशांक के अपने सभी पाठकों को मेरी शुभकामनाएं!

मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह न्यूज़लैटर ग्राम पंचायत स्तर के लोगों, राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारियों और नीति–निर्माताओं को सीधे तौर पर जोड़ने वाले सेतु का काम करे और संविधान के 73वें संशोधन की अवधारणा के अनुसार विकेंद्रीकरण और स्वशासन प्राप्त करने हेतु काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक मंच का काम करे।

इस अंक का प्रमुख विषय ग्राम सभा और उसके महत्त्व पर आधारित है। संविधान की धारा 243क ग्राम सभा को मान्यता प्रदान करती है। संविधान यह भी अपेक्षा करता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा अपने कामकाज में उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो कि राज्य की विधायिका द्वारा उसे वैधाानिक रूप से दी गई हों। राज्यों ने किसी हद तक ऐसी शक्तियां व अधिकार और कुछ ऐसे कामकाज ग्राम सभाओं को सौंप भी दिए हैं।

मेरे मंत्रालय ने ग्राम सभाओं के प्रभावकारी कामकाज के लिए राज्य सरकारों को कुछ नीति–निर्देश जारी भी किए हैं ताकि वहां के नागरिक ऐसे मामलों की योजना, विकास और अभिशासन में सीधे तौर पर भाग ले सकें जो उनके जीवन की बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक हैं। मुझे ज्ञात है कि ग्राम सभा की बैठकों में आवश्यक संख्या जुटा पाना कई बार ग्राम पंचायत के लिए कठिन हो जाता है। सभी ग्राम प्रचायतों से मेरा आग्रह है कि वे अपनी बैठकों का एक वार्शिक कलेंडर पहले से ही तैयार करे लें और जब भी उसकी बैठक होनी हो तो उसकी तारीख़, समय और स्थान के बारे में अच्छी तरह प्रचार–प्रसार करें। निर्णय की सहभागिता और पारदर्शिता को सरल–सुलभ बनाने के लिए ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफ़ी कराई जानी चाहिए। गांव के जीवन और रोज़गार को बेहतर बनाने वाले विषयों पर ग्राम सभा की विषेश बैठकें बुलाई जानी चाहिएं। ऐसी बैठकों में संबंधित सरकारी अधिकारियों के आने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा ही एक मात्र ऐसा मंच है जो किसी एक गांव के या कुछ गावों के समूह के सभी नागरिकों को ऐसा सम्मान अवसर देती है जहां वे पंचायत की कार्यकारिणी के प्रस्तावों पर चर्चा कर सकते हैं, उनकी समालोचना कर सकते हैं और उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं, और साथ ही किए गए कार्यों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस प्रणाली में पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी का भाव लाने के लिए सभी ग्राम सभा सदस्यों की व्यापक तथा सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा ग्राम्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्राम सभा की नियमित व सार्थक सभाओं का आयोजन करते हुए, आइए इस सशक्त मंच का उपयोग हम कुशलता और सफलतापूर्वक करें।

वी. किशोर चंद्र देव
केंद्रीय मंत्री
पंचायती राज एवं जनजातीय मामले,
भारत सरकार

इस अंक में

मंत्री महोदय का संदेश		आवरण
गौरव गाथा	पृष्ठ	2
अतिथि वचन	पृष्ठ	4
सच्ची कहानी	पृष्ठ	5
देश भर से	पृष्ठ	6
प्रदेश से	पृष्ठ	7
संक्षेप में		पीछे

ग्राम सभा और स्थानीय स्वशासन का महत्त्व

रहीसा ख़ातून – अरादका गांवः गांव वालों को सर्वहित कार्यों में जुटाती हैं।

पंचायती राज व्यवस्था में, ग्रामीण जन की सार्वजनिक सभा अर्थात् ग्राम सभा वास्तव में पंचायतों के कार्यकलाप को प्रभावी ढंग से चलाने में अहम भूमिका निबाहती है। ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीण गरीबों, महिलाओं और हाशिए पर आए हुए लोगों को भी यह अवसर मिलता है कि वे ऐसे निर्णय लेने में भागीदारी कर सकें जो उनके जीवन पर असर डालने वाले हों। ग्राम सभा की सक्रियता से पारदर्शी, ज़िम्मेदार और उपलब्धि वाली लोकतांत्रिक सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है।

राजस्थान में अजमेर ज़िले के

ग्राम सभा आधारभूत स्वशासन की जान होती है।

सूखे इलाके के अरादका गांव की सरपंच रहीसा ख़ातून ने गांव में पानी की भारी किल्लत की समस्या को सुलझाने के लिए हर तीन महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए भगीरथ प्रयास किया। पूरे 450 गांव वालों की भागीदारी का ही परिणाम है कि समस्या का समाधान हो गया और अब गांव वालों को पानी लाने के लिए मीलों नहीं जाना पड़ता।

गोवा के किर्लापल दबल गांव की ग्राम सभा ने तो सड़कें, कम्यूनिटी हॉल और आंगनबाड़ी बनवा कर वहां की काया–पलट ही कर दी है। वहां के सरपंच श्री राम सोनूगांवकर को गर्व है कि उनकी पंचायत में अब ऐसा एक भी घर नहीं है जो कि पानी और बिजली से वंचित रह गया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राम सभा

उल्लेखनीय काम के लिए राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2011 के विजेता*

- श्री विनेश इरागौडा पाटिल शिरुगुप्पी बेलगाम, कर्नाटक
- श्री राम सोनूगांवकर किर्लापल दबाल, गोवा
- श्रीमती रसीलाबेन दलसानिया, देपलिया, राजकोट, गुजरात
- श्री राज सिंह अस्सन, रोहतक, हरियाणा
- श्रीमती संगीता बाई कोली चहराड़ी, जलगांव, महाराष्ट्र
- श्रीमती रहीसा ख़ातून अरादका, अजमेर, राजस्थान
- श्री गणेश राय मैलिडरा–पैयांग, दक्षिण ज़िला, सिक्किम

*राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2012 से पुरस्कृत व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन अगले अंक में होगा।

दरअसल गांव में बदलाव लाने वाला वह अग्रदूत है जो वहां के समूचे सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए गांव वालों को उत्प्रेरित करता है।
ग्राम सभा आधारभूत स्वशासन की जान होती है और यही ग्राम पंचायत के कामकाज की पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी को सुनिश्चित कर सकती है। संविधान द्वारा इसे एक ऐसी निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी गांव की ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी रजिस्टर्ड वोटर शामिल रहते हैं। अपने आदर्श रूप में ग्राम सभा सभी गांव वालों को अपने विकास के बारे में चर्चा करने व योजना बनाने, ग्राम पंचायत के प्रस्तावों की समालोचना करने, उन्हें स्वीकृत या अस्वीकृत करने, तथा किए गए अथवा किए जा रहे कामों की समीक्षा करने व मॉनीटर करने का समान अवसर प्रदान कराती है – और इस प्रकार इस प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही की स्थिति में निरंतर सुधार लाती है।
पंचायती राज तथा जनजाति मामलों के मंत्री श्री वी.किशोर चंद्र देव ने ग्राम सभा पर सरकार के ध्यान को दोहराते हुए कहा है कि ''ग्राम सभाएं हमारी पंचायती प्रणाली की आधार शिला है।''
कुछ ग्राम पंचायतों ने तो प्रभावी ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न आयामों को अपनाते हुए उल्लेखनीय काम किए हैं जैसे जल–संरक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास, फ़सल चक्र में बदलाव, पूंजी लगाना और कमाना, स्वच्छता में बेहतरी और टिकाऊ विकास मॉडल को बनाए रखना।
पंचायती राज मंत्रालय वार्षिक राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार द्वारा स्थानीय स्वशासन में उल्लेखनीय काम करने वाली ग्राम सभाओं को सम्मानित करता है।
ग्राम स्तर पर जन साधारण की सीधी भागीदारी के स्वशासन वाला ग्राम सभा का महात्मा गांधी का सपना ही वह आधार है जिस पर पंचायती राज प्रणाली काम करती है। यह भविष्य की ओर जाने वाले विकास तथा स्वशासन के पथ का प्रतिनिधित्व करता है, और यही ऐसा इकलौता मार्ग है जिसमें भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के सभी लोगों की आकांक्षाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व हो सकता है।

भारतीय स्थानीय स्वशासन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय रुचि

नार्वे की स्वशासन एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री सुश्री लिव सिग्ने नवर्सेते के साथ भारत के पंचायती राज एवं जनजाति मामलों के मंत्री श्री वी.के.सी.देव

भारत के स्थानीय स्वशासन के मॉडल के प्रति काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय रुचि जागी है। भारत में विकेंद्रीकरण के लिए उठाए गए कदमों का अध्ययन करने में पूरे विश्व के अनेक देशों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इस प्रकार की अनेक परस्पर बातचीत का मुख्य उद्देश्य रहा है भारत से बेहतरीन तौर–तरीकों को सीखना और फिर उन्हें यूरोप व अफ्रीका सहित विश्व के अन्य भागों में दोहराना।
हाल ही में, रॉयल किंगडम ऑफ़ नार्वे के स्थानीय स्वशासन एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री सुश्री लिव सिग्ने नवर्सेते के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत में विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाए जाने में यहां की ग्राम सभाओं के योगदान का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। इस प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव प्रक्रिया और उसमें किसी संवैधानिक अधिकारी की भूमिका को समझने के लिए आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का दौरा किया।
यह दौरा दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए उस समझौते के अंतर्गत चलने वाली अनेक गतिविधियों में से एक था जिसमें शामिल हैं स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में सघन पारस्परिक वार्तालाप और विचार–विमर्श करना, तथा संस्थानों को सशक्त करने, इस मिलेनियम के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबद्ध क्षेत्रों पर फ़ोकस करने, ई–गवर्नेन्स बनाने, समाधानों का आदान–प्रदान करने और संसाधनों का जुटाव करने के द्वारा स्थानीय स्वशासन को सबल–सशक्त करना।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अपनी प्रभावी और सक्षम प्रणाली के लिए विश्व भर में मान्यता पाने वाला स्विटज़रलैंड स्थानीय स्वशासन में दिलचस्पी रखते हुए अब भारत की ओर देख रहा है।

इसी प्रकार, भारत और स्विटज़रलैंड के बीच स्थानीय स्वशासन के लिए पारस्परिक सहयोग को सशक्त करने की दिशा में एक संधि हुई है जिसमें संसाधनों का जुटाव करना भी सम्मिलित है। हाल ही में हुए एक सेमिनार में भारत में नियुक्त यूरोपियन यूनियन की राजदूत म. डेनियेल स्मदजा ने स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की भूरि–भूरि प्रशंसा की। उन्होंने संकेत दिया कि यूरोपियन यूनियन इस क्षेत्र में भारत द्वारा अपनाए गए तौर–तरीकों से काफ़ी कुछ सीखना चाहता है।

प्रभावशाली पंचायतें लोकतंत्र की प्राण हैं

गणेश के. राय
अध्यक्ष
मेल्लीदारा-पैयांग ग्राम पंचायत सिक्किम
राष्ट्रीय गौरव ग्राम सम्मान पुरस्कार विजेता

मेल्लीदारा-पैयांग ग्राम पंचायत द्वारा आरंभ किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्यः

- सिंगिल विंडो सिस्टम – *बेहतर सेवा की अवधारणा*
- वर्क-परमिट-कार्ड – *राजस्व बढ़ाने और अपराध पर अंकुश लगाने हेतु*
- पंचायत संदेश – *मासिक समाचार पत्रिका*
- कचरा प्रबंधन – *कचरे को रीसाइकिल करना और राजस्व पैदा करना*
- पेयजल प्रबंधन – *लोगों को बेहतर सुविधा देना*

मेल्लीदारा-पैयांग के निवासियों को यह समझा पाना कि पंचायती संस्थाओं का वास्तव में क्या अर्थ है, मुझे लगता है कि यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब दक्षिण सिक्किम के इस रमणीक गांव में लोग यही सोचा करते थे कि पंचायतें तो चुने गए सदस्यों द्वारा ही चलाई जाती हैं। साढ़े चार साल पहले सरपंच बनने पर, काफ़ी कोशिश के बाद मैं अपने गांव के लोगों को ग्राम सभाओं में उनकी भूमिका के महत्त्व को बतलाने और समझाने में सफ़ल हो पाया। सच तो यह है कि ग्राम सभाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों की तुलना में ग्राम सभाओं के सदस्य कहीं अधिक बड़ी भूमिका निबाहते हैं।

हमारी ग्राम सभाओं में आम जनता की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है – विशेष रूप से जब से हमने बैठक की तारीख़ को बैठक से काफ़ी पहले घोषित करने और उसके एजेंडे को पहले से ही विचारार्थ घुमाने का सिलसिला शुरु किया है। अब, लोग केवल सुझावों के साथ ही नहीं आते बल्कि बाहर से आर्थिक सहायता आने की प्रतीक्षा करने के बजाय वे गांव के विकास में अपना योगदान स्वयं करते हैं।

हमारी ग्राम सभा पहली ग्राम सभा है जिसने विभिन्न कराधान किए, जैसे पेयजल कर।

राजस्व पैदा करने वाला मॉडल सिक्किम में कुछ अधिक प्रचलित नहीं था। हमारी ही पहली ग्राम सभा है जिसने कई तरह के कर लगाने की शुरुआत की, जैसे पेयजल कर, पर्यावरण कर, घरेलू रजिस्ट्रेशन कर, इत्यादि। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सभी कर लोगों द्वारा स्वयं लगाए गए। यह देख कर और भी खुशी होती है कि वे इनका भुगतान करने में भी उनमें कोई विरोध या अनिच्छा की भावना नहीं रहती है। बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा इसका शुभारंभ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद ही राज्य सरकार ने भी अन्य ग्राम पंचायतों को कर लगा कर राजस्व पैदा करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इन करों द्वारा हम कई भवन बनवा सके और पेय जल की समस्या को दूर कर सके।

पंचायत के कामकाज में पारदर्शिता रखना मेल्लीदारा पैयांग ग्राम पंचायत इकाई का दूसरा प्रमुख लक्ष्य रहा है। हमने कई कदम ऐसे उठाए हैं जिनसे लोगों में जागरुकता आई है और इसी से आई है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। इस लक्ष्य को पाने में 'पंचायत संदेश' का प्रकाशन एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है। आज हम सूचना के युग में रह रहे हैं जिसमें हमारी गतिविधियां काफ़ी-कुछ हमें प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर ही आधारित रहती हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम अपनी ग्राम पंचायत इकाई की वेबसाइट पर अपने कार्यकलापों का विवरण प्रकाशित करते रहें, इसमें शामिल रहे हैं मोबाइल फ़ोन सेवा, कार्य-अनुमति-कार्ड और हाल ही में अपनाया गया मिशन कि इसे कचरा मुक्त ग्राम पंचायत इकाई बनाना है।

मेरा मानना है कि ग्राम स्तर पर परिवर्तन लाने वाला असल कारक तो ग्राम सभा ही है। पंचायतों को यह स्वयं तय करना चाहिए कि सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों को आधारभूत स्तर पर सफल बनाने के लिए आम जनता को किस तरह उनके साथ जोड़ा जाए और लोगों को अपनी आवश्यकताओं को स्थानीय स्तर पर ही पूरा कर लेने के लिए किस तरह प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए और ग्रामीण विकास में ग्रामीण समुदाय को ही शामिल करने के लिए सर्वोत्तम संस्थाएं पंचायतें ही हैं।

प्रशासनिक रूप से भी, यही सर्वोत्तम है कि स्थानीय समुदाय ही तय करे कि बुनियादी ढांचे पर या अन्य तरह से भी क्या ख़र्च करना उनके सबसे अधिक हित में है। राज्य की राजधानी में बैठे नौकरशाह शायद यह न जान या समझ सकें कि किस बस्ती को बेहतर जल-निकास की आवश्यकता है, किसे बेहतर पेयजल सुविधा की आवश्यकता है, इत्यादि। यह सब तो स्थानीय ग्राम पंचायत इकाई को ही तय करना चाहिए।अब समय आ गया है कि हमारे देश की पंचायतों को अपनी शक्ति और अधिकारों को पहचान लेना चाहिए और अपने कर्त्तव्यों और ज़िम्मेदारियों को भी समझ लेना चाहिए, जिससे कि हमारा देश सही मायनों में विश्व का विशालतम लोकतंत्र बन सके।

गणेश के. राय

www.mellidaragrampanchayat.net

राज समाधियाला ने दिखाया रास्ता

राज समाधियाला गांव राजकोट जिले के बाहरी छोर पर, राजकोट–जामनगर राजमार्ग पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव ने वर्षाजल–संरक्षण, स्वच्छता–सफ़ाई और आरोग्य प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसने सुनिश्चित किया है कि हर घर में, हर स्कूल और आंगनबाड़ी में शौचालय हो, सड़कें धूल और कूड़ा–करकट रहित हों और जल निकासी सुव्यवस्थित हो।

हमेशा से ऐसा नहीं था। 1500 एकड़ में फैले हुए और 2000 लोगों की बसावट वाले इस छोटे से गांव में गांव वालों ने ग्राम सभा की एक बैठक बुला कर अपने मामलों को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। पानी की इतनी भारी किल्लत थी कि आस–पास के गांव वाले अपनी बेटी का विवाह इस गांव के युवकों के साथ करने से इंकार कर देते थे। ऐसे हालात में गांव वालों ने जल अभाव की चुनौती से सामना करने का बीड़ा उठाया। रेगिस्तान जैसी झुलसा देने वाली ज़मीन के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ते हुए गांव वालों ने ज़िला ग्राम्य विकास प्राधिकरण (डी.आर.डी.ए.) से पैसा लेकर छोटे–छोटे पानी रोकने वाले बांध और तालाब बनाए। 1090 हैक्टेयर भूमि पर ऐसे 45 बांध बनाए गए और अभी भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे बांध वर्षा जल को रोक रखते हैं जिससे कि वह ज़मीन में रिसता हुए भूमिगत जल में तब्दील हो जाता है। इससे गांव के हर घर का भूमिगत जल स्तर अब इतना बढ़ गया है कि पाइप से पानी मिलने लगा है और समुचित जल निकास भी हो रहा है। इन बाधों की सफलता से उत्साहित हो कर गांव वालों को प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने रिमोट सैंसिंग तकनीक को अपनाते कर डाइक बनाते हुए वर्षा जल संरक्षण करना आरंभ कर दिया। रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए 65000 पेड़ लगाए गए। अब पीने के लिए और खेती के लिए जल आपूर्ति भरपूर रहती है – सूखे जैसे हालात के बावजूद।

वर्षा जल को रोक रखने वाले छोटे बांध जिन्होंने राज समाधियाला का कायाकल्प ही कर दिया है।

कमाल की बात यह है कि जिस राज समाधियाला में केवल मानसून में मुश्किल से एक ही फ़सल उगाई जाती थी, वहीं साल में चार इंच वर्षा होने के बावजूद हाल ही में एक ही मौसम में तीन तीन भरपूर फ़सलें उगाई गई हैं। फ़सलों में विविधता की भरमार है, जैसे गेहूं, फूल–गोभी, मिर्च, टिमाटर, धनिया, बैंगन, आलू, मूली, गाजर, अमरूद, आम, आंवला और पानी चाहने वाली मूंगफली भी। सब्ज़ियों की वार्षिक बिक्री अब तो 25 लाख रुपए से भी अधिक होने लगी है।

राज समाधियाला ग्राम समिति ने सामुदायिक प्रयास के द्वारा विकास की राह पर आगे बढ़ते रहने की मिसाल कायम की है।

पहली बार जब से ग्राम समिति (सभा) बनी थी, तभी से गांव वालों ने एक कड़ी आचार संहिता लागू की हुई है। नियमित बैठकें और लगातार प्रयास के बाद गांव में गुटके की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और थूकने व गंदगी करने पर लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। कूड़ा इकट्ठा करके ले जाने के लिए गांव में कोई स्वीपर नहीं है, यह जिम्मेदारी वहां के निवासियों की है जो कि नंबर से अपने–अपने क्षेत्र का कूड़ा ले जाकर निचली ज़मीन को भरने के लिए बनाए गए खत्तों में डाल कर आते हैं। गोबर और अन्य कचरा गांव वालों द्वारा ही बैलगाड़ी में ढो कर गांव से बाहर ले जाया जाता है। नियमों को तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने के चलते राज समाधियाला ही गुजरात का पहला 'प्लास्टिक मुक्त' गांव होने का दर्जा पा सका है।

सरपंच शारदाबेन मनसुखभाई मुच्छादिया के अनुसार, वर्ष 2011 में चार ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। वर्ष 2012 की उनकी पहली बैठक में, एमजीएनआरईजीएस का सोशल ऑडिट किया गया और इस वर्ष के लिए नियत किए गए प्रस्तावित कार्यों के लिए रणनीति पर विचार–विमर्श किया गया। इस गांव में गरीबी की रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का, जन्म और मृत्यु का और विवाह के रजिस्ट्रेशन का पूरा–पूरा और अद्यतन रिकार्ड रखा जाता है। भली–भांति रखा गया पंचायत रिकार्ड उपलब्ध रहता है जिसमें बैनामे सहित ज़मीन का पूरा रिकार्ड शामिल है। शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वास्मो के सहयोग से आर–ओ प्लांट लगाए जाने की पूरी योजना भी तैयार कर ली गई है।

राज समाधियाला ग्राम समिति की सामुदायिक प्रयास द्वारा विकास की राह पर आगे बढ़ते रहने की मिसाल की खुशबू अब सीमा पार तक पहुंच गई है। उनके कामकाज में पाकिस्तान सरकार भी दिलचस्पी लेने लगी है और चाहती है कि इस गांव के लोग अपने ज्ञान को पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के साथ बांटें ताकि वे भी अपना ग्राम विकास कर सकें और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकें।

छुटपुट समाचार

जम्मू-कश्मीर के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया

जम्मू-कश्मीर में तीन दशक बाद चुनाव हुए। पंचायत राज मंत्रालय ने चुने गए ५३ प्रतिनिधियों तथा प्रशिक्षकों को केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रशिक्षित करने का आयोजन किया। इन चुने गए प्रतिनिधियों को एक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें शामिल थीं जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम की मुख्य बातें, हलका पंचायत की भूमिकाओं, ज़िम्मेदारियों और कामों के बारे में जानकारी, विकास में ग्राम सभा की भूमिका को जानना, पंचायत योजनाओं को तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन करना, आदि।

उत्तर-पूर्व में कोई पंचायत नहीं

मंत्रालयों के एक उच्च-स्तरीय दल ने स्थानीय स्वशासन की नींव डालने के लिए उत्तरपूर्व क्षेत्र का दौरा किया था जहां कि पंचायत अस्तित्व में नहीं हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप मिज़ोरम में ग्राम सभाएं गठित हो गई हैं। राज्य ने एक चुनाव आयोग का गठन भी कर दिया है जो अब सभी ग्राम व ज़िला परिषद के चुनावों को आयोजित कर रहा है। छठे दौर में, लांगथलै और सैहा क्षेत्रों में, ज़िला परिषद ने महिला आरक्षण का कानून पारित कर दिया है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में एक यादगार दिवस बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह करेंगे। कई राष्ट्रीय पुरस्कार यहां प्रदान किए जायेंगे, जैसे ग्राम सशक्तीकरण पुरस्कार, राज्यों को पंचायत सशक्तीकरण एवं दायित्व प्रोत्साहन योजना पुरस्कार तथा ग्राम सभा के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार।

ग्राम सभाओं में महिलाओं की सहभागिता

पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डा. ऋषिकेश पांडा, झबुआ ज़िले के सारंगी गांव में

मध्य प्रदेश के झबुआ ज़िले में मोहनपुरा, देवझिरी, पांडा, भागोर, देबरबाड़ी, और नरवलिया की ग्राम पंचायतों का दौरा करने के दौरान बैठकों में महिला प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में आए हुए केंद्रीय दल के अधिकारियों ने पाया कि महिलाएं न केवल बिजली और सड़कें जैसे सामान्य मुद्दे उठा रही थीं बल्कि वे सिंचाई, पेयजल, दूसरी फ़सलों, अनुपस्थित अध्यापकों और आजीविका से जुड़े मामलों पर भी बात कर रही थीं। झबुआ में इन दस ग्राम सभाओं में हुई बैठकों के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि ग्राम सभाओं में महिलाओं द्वारा की जा रही सक्रिय और सस्वर सहभागिता से वहां आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे असल और महत्त्वपूर्ण मुद्दों की आवाज़ उठ रही है।

पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डा. ऋषिकेश पांडा के अनुसार, महिलाओं ने अतिरिक्त फ़सलें उगाने के लिए बेहतर सिंचाई, खेती और टसर उत्पादन के लिए फ़सलों की विविधता, पेयजल की सुलभता, स्कूलों में अध्यापकों का ग़ायब रहने जैसे मुद्दों पर आवाज़ उठाई।

अधिकारियों ने महिलाओं से महिला-सशक्तिकरण की स्थिति तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की अन्य योजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की। उन्होंने महिलाओं को बताया कि एक वर्ष में ही ज़िला प्रशासन ने ३० ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने इन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के बारे में बातचीत की और सुझाव दिया कि इसके कार्यान्वयन में सरलता लाने के लिए ज़िला प्रशासन और ग्राम सभाओं के बीच एक समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव

भारत के संविधान के अनुसार, पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहल ही, और भंग हो जाने की स्थिति में भंग होने से छः महीने के अंदर हो जाने चाहिएं। पंचायती राज मंत्रालय इस पहलू पर कड़ी निगाह रखता है क्योंकि स्थानिक शासन को लोतांत्रिक रूप से चलाने के लिए नियमित चुनाव अनिवार्य हैं।

ऐसा एक मामला पुडुचेरी में सामने आया है जहां पंचायत के चुनाव छः महीने की अवधि के अंदर नहीं कराए गए। इसका परिणाम यह होगा कि पुडुचेरी की पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से वंचित रह जायेगी। नगरपालिकाएं जेएनएनयूआरएम तथा अन्य अनुदानों से वंचित कर दी जायेंगी।

> इसका परिणाम यह होगा कि पुडुचेरी की पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों से वंचित रह जायेगी।

पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों को सहयोग-सहायता देने की एक योजना भी बना रहा है, किंतु पुडुचेरी की पंचायत उसकी पात्र नहीं मानी जायेगी। पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, जो कि पुडुचेरी गए थे, उन्होंने उपराज्यपाल तथा मुख्य मंत्री से मिलकर शीघ्र चुनाव कराने का आग्रह किया।

सरपंच के न्यायिक अधिकार

गांव के अंदर ही न्याय दिलाने के लिए बिहार में ग्राम–कचहरी (पंचायत स्तर की अदालत) को सिविल मुक़द्दमें निपटाने के अधिकार दे दिए गए हैं। राज्य के पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को ऐसे सारे मामले ग्राम कचहरियों को स्थानांतरित कर देने के निदेश दे दिए हैं।

ये पंचायत स्तरीय अदालतें न केवल सिविल शिकायत दर्ज करा सकती हैं बल्कि झगड़ों का निपटारा भी कर सकती हैं और जुर्माना भी लगा सकती हैं – ऐसे झगड़ों में भूमि और अचल संपत्ति से जुड़े झगड़े भी शमिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने सरपंचों (पंचायत स्तर की अदालतों के प्रमुखों) को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है ताकि वे निडर हो कर न्याय कर सकें।

पंचायत स्तरीय अदालतें सिविल शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, झगड़ों का निपटान कर सकती हैं, और जुर्माना लगा सकती हैं।

पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने अपने सभी मातहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि सरपंचों को समुचित सुरक्षा दे दी गई है जिन्हें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत अब सिविल शिकायतों को निपटाने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये आदेश तब दिए गए जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पाया कि सरपंच का फ़ैसला जिन लोगों के ख़िलाफ़ जाता है, अक्सर वे लोग सरपंचों को धमकी देने लगते हैं। इसलिए सरपंचों के लिए सुरक्षा अनिवार्य हो गई है।

उन्होंने कहा कि सिविल झगड़ों में पुलिस की भूमिका बहुत सीमित रहती है। सरपंच लोग स्थानीय होते हैं और ऐसे मामलों को निपटाने के बेहतर तौर–तरीके जानते हैं। पुलिस कर्मियों को झगड़े निपटाने में सरपंच का सहयोग करने के लिए कहा गया है। नए निर्देशों के अनुसार, ग्राम कचहरियां संपत्ति व ज़मीन के झगड़ों, पशुओं पर नष्शंता और असंज्ञेय अपराध की शिकायतों पर विचार करेंगी। रु10,000 के मूल्य वाली संपत्ति के झगड़ों की शिकायत उनके कार्यक्षेत्र में आयेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर. पी.सी.) की धारा 107 के अंतर्गत, साधारण कारावास का दंड देने और रु.1000 तक जुर्माना करने का अधिकार संरपंच को प्राप्त है। ग्राम–कचहरी द्वारा दिए गए फ़ैसले को 30 दिन के अंदर सात सरपंचों वाली बैंच के सामने चुनौती दी जा सकती है। ग्राम–कचहरियों को झूठी शिकायत दर्ज करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है।

शुचिता से भलुई गांव की जीवन शैली ही बदल गई

वैशाली ज़िले के रजपकर ब्लॉक की भलुई पंचायत बिहार की बहुत सम्मान प्राप्त ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत ने न केवल 100 प्रतिशत शुचिता (सैनिटेशन) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है बल्कि इसने पानी की व्यवस्था के मामले में भी मिसाल कायम की है। इस उल्लेखनीय काम को करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया है।

भलुई ग्राम पंचायत के अंतर्गत 1915 घर हैं। यहां 100 प्रतिशत शुचिता के लक्ष्य को पाने के लिए लोगों ने स्थानीय प्रशासन को मार्ग दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है। गांव के पूर्व मुखिया रनजीत यादव बताते हैं, "सैनिटेशन का नक्शा बनाना, गांव वालों से संपर्क करने का अभियान चलाना, रैली करना, सामूहिक जागरुकता अभियान चलाना और वीडियो शो करना – ऐसे बहुत से काम किए गए।"

ये सारे उपाय करने और जागरुकता पैदा करने ने इस गांव को खुले में शौच जाने की गंदी आदत से मुक्ति दिला दी। अब सभी परिवार अपने–अपने शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। इससे हाथ धोने की आदत में भी सुधार आया है। इस सब के फलस्वरुप स्कूलों में भी बच्चे शौचालयों का प्रयोग करते हैं जिनका रखरखाव चाइल्ड कैबिनेट और विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है। इससे सुरक्षित कूड़ा प्रबंधन और तरल कचरा प्रबंधन में स्वतः सुधार आ गया है।

खुले में शौच जाने की गंदी आदत से गांव को मुक्त कराने की उपलब्धि ने इस पंचायत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि वह पहल कर सकी और यह प्रस्ताव पारित कर सकी कि 12वें वित्त आयोग निधि से यह पंचायत सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का रखरखाव करेगी और हैंड पम्पों की मरम्मत आदि करायेगी।

यह पंचायत विकास की अन्य गतिविधियों को भी चला रही है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का उपयोग करते हुए 2000 रोज़गार दिवस पैदा करने के लिए गांव के तालाब की गाद और तलछट को निकलवाना और उसके पुश्ते की मरममत कराना, पेयजल के स्रोत की जांच कराना, और गांव के सभी कुओं को साफ़ कराना तथा उनमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर उन्हें कीटाणु रहित कराना – और यह सब पूरे समुदाय के सामूहिक प्रयास से करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें कोई ढील न हो।

विभिन्न स्तरों पर पंचायतों की राज्यवार स्थिति

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	ज़िला पंचायतें	मध्यवर्ती पंचायतें	ग्राम पंचायतें	कुल
आंध्र प्रदेश	22	1098	21852	22972
अरुणाचल प्रदेश	16	155	1756	1927
असम	21	191	2205	2417
बिहार	38	534	8474	9046
छत्तीसगढ़	18	146	10033	10197
गोवा	-	-	190	190
गुजरात	26	223	14144	14393
हरियाणा	21	119	6279	6419
हिमाचल प्रदेश	12	77	3241	3330
जम्मू-कश्मीर	22	143	4089	4254
झारखंड	24	257	4464	4745
कर्नाटक	30	176	5631	5631
केरल	14	152	977	1143
मध्य प्रदेश	50	313	23028	23391
महाराष्ट्र	33	352	27971	
मणीपुर	4	-	160	164
उड़ीसा	30	314	6234	6578
पंजाब	20	142	12800	12962
राजस्थान	33	243	9201	9477
सिक्किम	4	-	163	167
तमिलनाडु	30	385	12617	13032
त्रिपुरा	4	23	511	538
उत्तर प्रदेश	72	821	52021	52914
उत्तराखंड	13	95	7555	7663
प. बंगाल	18	333	3352	3703
अंडमान नीकोबार	3	9	67	79
चंडीगढ़	1	1	17	19
दादरा नागर हवेली	1	-	11	12
दमन-दीयू	1	-	14	15
लक्षद्वीप	1	-	10	11
पुदुचेरी	-	10	98	108
कुल	584	6312	239165	246061

भारत में पंचायत प्रणाली का लक्ष्य है प्रशासन की एक प्रभावी इकाई की तरह काम करना और ग्रामीण समुदाय के लगभग सभी पहलुओं के हित में कार्यकलाप करना। संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992 तीनों तलों पर पंचायती चुनावों को नियमित रूप से कराने तथा उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला आरक्षण देने का प्रावधान करता है। ये तीन तल हैं –

- ग्राम स्तरीय पंचायतें
- मध्यवर्ती पंचायतें
- ज़िला स्तरीय पंचायतें

आपकी राय

इस अंक के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराइयेगा। आपकी राय और सुझावों का हम स्वागत करते हैं।

- PO Box: #2, New Delhi
- Email: newsletter-mopr@nic.in
- SMS: <MOPR> <your comments> to +91-92200-92200

ADDRESS

PANCHAYAT ____________

VILLAGE ____________

BLOCK ____________

DISTRICT ____________

STATE ____________

NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY LAUNCH COPY

प्रतियोगिता

प्रिय पाठक,
यह प्रतियोगिता आपके ग्राम सभा संबंधी ज्ञान को परखने का एक दिलचस्प तरीका है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या आपको चुने जाने की आवश्यक है?

- हां
- नहीं

अपने उत्तर कृपया नीचे लिखे किसी एक पते पर भेजें:

- PO Box: #2, New Delhi
- Email: newsletter-mopr@nic.in
- SMS: <MOPR> <Y/N> to +91-92200-92200

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादकः डा. हृषिकेश पांडा एशिया पैसिफ़िक कम्यूनिकेशन एसोसिएट्स प्रा.लि. मार्फ़त सिरस ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी-62/14, फ़ेज़-2, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110028 में मुद्रित, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित

DELHIN27229